



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार-249404

संख्या: 362 / 01 / डी०आर०(डिग्री) / सेवा-2 / 2021-22

दिनांक : 15 फरवरी, 2024

अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र (Economics) विषयान्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 09 नवम्बर, 2023 के क्रम में अनर्ह सूची एवं अधिमानी अर्हता विषयक सूची के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार 15 दिन, दिनांक 24 नवम्बर, 2023 तक समय प्रदान किया गया था, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किये जाने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदनों का परीक्षण करते हुए मा० आयोग द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदनों के क्रम में अन्तिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों का प्रत्यावेदन निस्तारण निम्नवत् किया गया है:-

क्र०	अनुक्रमांक	कार्यालय टीप
(1)	(2)	(3)
1.	506171	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 09 नवम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 24 नवम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन / प्रमाण पत्र / अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा० आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
2.	506172	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 09 नवम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 24 नवम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन / प्रमाण पत्र / अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा० आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
3.	506200	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 09 नवम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 24 नवम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन / प्रमाण पत्र / अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा० आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
4.	506359	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 09 नवम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 24 नवम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन / प्रमाण पत्र / अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मा० आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
5.	506503	<ol style="list-style-type: none"> अभ्यर्थी द्वारा अनर्ह सूची दिनांक 09 नवम्बर, 2023 के क्रम में प्रत्यावेदन के साथ प्रस्तुत नवीन रिसर्च पब्लिकेशन के संबंध में विषय-विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया, जिसके क्रम में अभ्यर्थी द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 04 अंक का दावा किया गया था, जिसमें अभ्यर्थी को पूर्व में रिसर्च पब्लिकेशन के 02 अंक अनुमन्य किये गये थे, एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नवीन रिसर्च पेपर में भी विषय-विशेषज्ञों द्वारा 02 अंक अनुमन्य किये गये हैं। जिसके क्रम में अभ्यर्थी का ए०पी०आई स्कोर 81 होगा। अभ्यर्थी द्वारा अवार्ड के संबंध में नेशनल सेमिनार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसको विषय-विशेषज्ञों द्वारा परीक्षणोपरान्त सही नहीं माना गया था।

		हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
15.	507189	उपरोक्त अनर्हता के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची दिनांक 09 नवम्बर, 2023 के संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि 24 नवम्बर, 2023 तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।

-Sd/
 (गिरधारी सिंह रावत)
 सचिव।